

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताशत सिंह (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 542/2018

बनाम अप्रार्थीगण:-

प्रार्थी:-

1. श्रीमती सीतादेवी पत्नि श्री मोहनलाल उम्र 65 वर्ष जाति प्रजापत निवासी 740 राजेन्द्र नगर विस्तार, पाली

1. श्री तखतसिंह पुत्र श्री कानसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी राधाकृष्ण मंदिर के पीछे, राजेन्द्र नगर, पाली
2. श्री लालसिंह पुत्र श्री कानसिंह उम्र वयस्क जाति राजपूत निवासी भालेलाव तहसील पाली जिला पाली
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पाली
4. भूमिधारी सरकार जरीये तहसीलदार, पाली

उपस्थिति:-

1. श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 व
आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई
व्यादेश

-:निर्णय:-

दिनांक 19.02.2019

- 1- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भालेलाव पटवारी हल्का भालेलाव तहसील पाली के खसरा नंबर 250/35 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी दौयम व खसरा नंबर 254 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी दौयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 15 बीघा भूमि आई हुई है। जो पूर्व में खातेदार जोधसिंह, इन्द्रसिंह पीसरान भगवानसिंह बहिस्सा 2/3 व तखतसिंह, लालसिंह, करणसिंह पीसरान कानसिंह बहिस्सा 1/3 के नाम से राजस्व रेकॉर्ड दर्ज थी जो वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित की जाएगी। खातेदार करणसिंह पुत्र श्री कानसिंह बहिस्सा 1/9 गत 23 वर्षों से लापता है एवं उक्त खातेदार के हिस्से की भूमि पर उसके भाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही कास्त करते थे। जब करणसिंह पुत्र श्री कानसिंह का कोई पता नहीं लगा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उसकी सम्पत्ति व खातेदारी भूमि पर अपना कब्जा कर दिया एवं उन्हें खातेदारी अधिकार भाई होने की वजह से मिल गये एवं बेरोकटोक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कास्त की। दिनांक 28-02-2004 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के निजी जायज जरूरत होने से वादग्रस्त भूमि कुल रकबा 15 बीघा में से 1/3 हिस्सा यानि 5 बीघा भूमि प्रतिफल लेकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीनी को बेच दी, जिसका रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 1-3-2004 को सब रजिस्ट्रार पाली के समक्ष पेश कर रजिस्ट्री करा दी एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादीनी को सुपुर्द कर दिया। तब से लेकर दिनांक 1-3-2004 से आज तक वादीनी का 1/3 हिस्से पर कब्जा कास्त है। वादीनी अशिक्षित है एवं उसे बेचाणनामा की प्रति पटवारी हल्का भालेलाव को पेश कर बेचाण का नामान्तरण भराना था, लेकिन जानकारी के अभाव में वादीनी ने रजिस्ट्री पेश नहीं की। जिसका प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने नाजायज फायदा उठाते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पाली प्रतिवादी संख्या 3 के यहां भूमि को कब्जा काशत नहीं होते हुए भी फर्जी तरीके से रहन रख दिया, एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हुए

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

बिना किसी जांच के, बिना किसी सर्च रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में लोन कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बैंक को धोखे में रख कर भूमि पर लोन लिया, बैंक ने उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही प्रथम सुचना रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं करवाई। लेकिन जब बैंक वाले दिनांक 27 मार्च, 2018 को वादीनी के पास आए, एवं कहा कि भूमि पर लोन है तब वादीनी ने राजस्व रेकॉर्ड बाबत पटवारी हल्का से संपर्क किया, तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किया गया गलत व फर्जी व धोखाधड़ी के कृत्य का पता चला। तब वादीनी ने दिनांक 16-05-2018 को पुलिस अधीक्षक पाली के समक्ष प्रथम सुचना रिपोर्ट पेश की जो पुलिस थाना सदर की प्रथम सुचना रिपोर्ट 106/18 है जो अंतर्गत धारा 420 आई.पी.सी. में दर्ज हुई है एवं पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है परन्तु वादीनी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में लंबे समय से दर्ज नहीं है। पटवारी हल्का ने दिनांक 27 मार्च 2018 को रजिस्टर्ड बेचाणनामा की प्रति प्राप्त करने के बावजूद बेचाण का नामान्तरण नहीं खोला है एवं टालमटोल करने से रजिस्टर्ड बेचाणनामा संलग्न फहरिस्त के श्रीमान् के समक्ष उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्याय संगत होगा। वादीनी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से में जरिये उद्घोषणा के खातेदार दर्ज किया जाना न्याय संगत होगा। वाद प्रथम दृष्ट्या सफल होने योग्य है। सुविधा का संतुलन वादीनी के पक्ष में है यदि फर्जी बैंक लोन की आड़ में बैंक भूमि कुर्क करती है तो वादीनी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रुपये पैसे में नहीं जा सकेगी। वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्सा यानि 5 बीघा भूमि पर वादीनी का दिनांक 28-02-2004 से लगातार कब्जा कास्त है एवं वादीनी को कानूनी खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बेचाण के प्राप्त हो चुके हैं। मात्र नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये बेचाण के कब्जा वादीनी को सुपुर्द कर दिया है। राजस्व रेकॉर्ड व भौतिक सत्यापन के अभाव में बैंक ने लोन कर दिया है, प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को वादीनी की कब्जा कास्त खरीदसुदा भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वे दिनांक 27-03-2018 को मार्च एंडिंग के वक्त लोन का तकाजा करने हेतु भूमि पर आने से वाद हेतुक दिनांक 27-03-2018 को पैदा हुआ। तब वादीनी ने मुकदमा सदर थाने में दर्ज करवाया, नकले ली एवं अविलम्ब अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश कर रहे हैं जो अंदर मियाद व श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरुद्ध अस्थाई व्यादेश जारी किये जावे कि प्रार्थनी/वादीनी को वादग्रस्त भूमि से वाद के निर्णय तक बेदखल नहीं करे एवं दखल अंदाजी न तो वे स्वयं करे न ही अपने किसी एजेंट या नौकर साकर या रिश्तेदार से करावें। अन्य अनुतोष जो प्रार्थनी के हक में हो दिलाया जावे।

2- प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस खुले आबाद मकान पर चस्पा कर तामील करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामील होने के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उसका जवाब पेश करने का अवसर समाप्त कर एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा निर्धारित समयवाधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

3- बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में से प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से 1/3 हिस्सा यानि 5 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01/03/2004 के

द्वारा खरीद किया गया परन्तु उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में इंड्राज नहीं हुआ तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, पाली में रहन रख कर लोन ले लिया जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध मु0नं0 106 दिनांक 19-05-2018 धारा 420 आई.पी.सी. में पुलिस थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवाया है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे।

5- पत्रावली का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम भालेलाव की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की खाता संख्या 100 में वादग्रस्त भूमि जोधसिंह, इन्दरसिंह पि0 भगवानसिंह, तख्तसिंह, लालसिंह, कर्णसिंह पि0 कानसिंह कौम राजपूत की खातेदारी में दर्ज है तथा लालसिंह का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा में रहन रखने का इंड्राज है। विक्रय विलेख दिनांक 01-03-2004 के अनुसार तख्तसिंह व लालसिंह पिसरान कानसिंह द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में खसरा नंबर 250/35 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 254 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 5 बीघा संपूर्ण भूमि का बेचाण किया गया है जिसका राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में इंड्राज नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीया 1/3 यानि 5 बीघा की रजिस्टर्ड केता होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थीया को यदि वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होना प्रथम दृष्ट्या जाहिर होता है।

6- अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम भालेलाव में स्थित खसरा नंबर 250/35 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 254 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 5 बीघा प्रार्थीया के हिस्से से ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण बेदखल नहीं करें एवं दखल दस्तंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी एजेन्ट या नौकर चाकर या रिश्तेदार से करावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।



सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर दिनांक 19.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)